न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10/2019

अपीलांट–
चालकनेची माताजी मन्दिर धाम सेवा संस्थान चालकना जरिये सचिव श्री रणजीतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति चारण निवासी ठीकरीया तहसील बूंदी राजस्थान हाल ग्राम चालकना तहसील सेड़वा

बनाम

रेस्पोडेंट –
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2018 जो तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. 20/2018 मे पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री अमृतलाल जैन, श्री राणाराम गौड़, अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16/10/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा प्रकरण सं. 20/2018 सरकार बनाम रणजीतसिंह मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भैरूड़ी द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चालकना के खसरा नम्बर 944/12 रकबा 09–00 बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से 13680 वर्गफीट भूमि पर चालकनेची माताजी मंदिर धाम सेवा संस्थान चालकना जरिये सचिव श्री रणजीतसिंह द्वारा कब्जा कर कमरों का निर्माण किया गया हैं, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही फरमावें। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलांट (गैर सायल) को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय दिनांक 20.12.2018 के द्वारा अपीलांट (गैर सायल) का मुतनाजा राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण अपीलांट व राजकीय पैरोकार को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम चालकना मे हजारों वर्षों से पुराना चालकनेची माताजी का मन्दिर अवस्थित है जो संवत् 2012 मे वक्त बन्दोबस्त खसरा नम्बर 11 गैर मुमकीन मंदिर के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर की जीण–शीर्ण अवस्था को सुधार करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा मंदिर की देखरेख हेतु चालकनेची माताजी मंदिर सेवा समिति के रूप में संस्था का पंजिकरण करवाया तथा इसी संस्था की देखरेख मे पुरातन संस्कृति धरोहर के संरक्षण के तहत नवीनीकरण कराया गया हैं। इस मंदिर के आस–पास पशु चराई हेतु मंदिर के नाम से ही ओरण भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 24–19 बीघा तथा खसरा नम्बर 83 रकबा 13–07 बीघा आई हुई हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कला, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर द्वारा चालकनेची तनोट माताजी मन्दिर के पास पैनोरमा के निर्माण हेतु 05–00 बीघा भूमि खसरा नम्बर 12 में से आवंटित की गई है, जिसके नये खसरा नम्बर 243/12 रकबा 05–00 बीघा जरिये नामान्तरकरण सं. 365 दर्ज किया गया हैं। उक्त आवंटन की पालना मे नक्शा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मंदिर के वर्तमान खसरा नम्बर 11 से छोड़कर की गई है जिससे मौके पर उक्त पैनोरमा के निर्माण को आवंटित भूमि से भिन्न स्थान मानते हुए तहसीलदार सेड़वा द्वारा अवैध अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया हैं। हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार सेड़वा के समक्ष धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व मौके पर कोई पैमाईश नहीं की गई तथा न ही खसरे का सीमांकन किया गया हैं। रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी अवश्य किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही सम्पन्न कर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया हैं जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलांट को सुनवाई हेतु आगामी पेशी दी गई। इसके पश्चात अपीलांट अपने स्थायी निवास स्थान ग्राम ठीकरीया जिला बूंदी चला गया तथा वापस आने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन आदेश बेदखली हेतु पारित कर दिया है। इस पर अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपियां प्राप्त की तब जानकारी हुई तथा जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपील के पदवार जवाब मे प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने मे किसी प्रकार की विधि एवं कानूनी तथ्यों की भूल नहीं की हैं। अपीलार्थी को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत भी कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हल्का पटवारी भैरूड़ी द्वारा मौके पर पैमाईश कर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण की सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई उपरांत गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों यथा गोचर, ओरण, आगोर, नाडी, नाला, तालाब आदि पर किये गये अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं जिसके अनुसरण मे यह अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपने निजी हित के लिए ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं जो हटाया जाना जनहित में न्यायोचित हैं तथा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा चालकना के खसरा नम्बर 11 रकबा 00–08 बीघा भूमि गैर मुमकीन मंदिर, खसरा नम्बर 12 रकबा 24–19 बीघा में से 05–00 बीघा भूमि चालकनेची तनोट माताजी के पैनोरमा हेतु आवंटन होने से खसरा नम्बर 243/12 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हैं। राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे खसरा नम्बर 12 का

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन होने पर खसरा नम्बर 12, 243/12 व 244/12 दर्ज हुए हैं तथा इस खसरा नम्बर 244/12 के मध्य मंदिर का खसरा नम्बर 11 अवस्थित हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलांट द्वारा मंदिर के पैनोरमा हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है जिसके बाबत हल्का पटवारी द्वारा बिना पैमाईश किये ही अतिक्रमण दर्शाते हुए गलत रिपोर्ट धारा 91 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सम्मिलित हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध खसरा नम्बर 944/12 की भूमि में 13680 वर्गफीट अर्थात् 00–16 बीघा पर कब्जा व कमरों का निर्माण कराया जाना उल्लेखित हैं तथा इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को खसरा नम्बर 944/12 पर अवैध अतिक्रमण के लिये अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। चुंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय पारित किया गया हैं जिसकी जानकारी यथासमय अपीलांट को नहीं होने के कथन की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों से होती हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं। अपीलांट द्वारा मंदिर व ओरण के नाम दर्ज भूमि के प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 944/12 गैर मुमकीन ओरण के रूप में कहीं दर्ज होना प्रकट नहीं होता हैं। इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 944/12 की भूमि पर अवैध कब्जे की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेकर्ड एवं मौके की भली–भांति जांच किये बिना ही आनन–फानन मे अपीलाधीन आदेश मंदिर सेवा संस्थान के विरूद्ध पारित किया जाना प्रतीत होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया हैं किन्तु आदेशिका में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं और न ही उपस्थिति दर्शायी गई हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं कार्यवाही एकपक्षीय पारित किया जाना अभिलेखीय तौर पर स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं, ऐसे मे बिना सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध होने से बहाल योग्य नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस खसरा नम्बर 944/12 से अपीलांट को बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं वह मंदिर व आसपास की ओरण भूमि से सम्बन्धित होना प्रतीत नहीं होता हैं ऐसे मे इस तथ्य की जांच एवं अपीलांट के निर्माण/कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है, उसके उपरांत ही विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न अपीलाधीन कार्यवाही बिना रेकर्ड व कब्जे की जांच

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किये अपूर्ण एवं विधि अनुकूल उचित नही होने से अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. 20/2018 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2018 अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके कब्जे की जांच कर एवं अपीलांट को नोटिस व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधि अनुकूल कार्यवाही करें।

9. आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)